JPD-6/302

JPD-6/302.

जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड

क्र:- मुख्य लेखाधिकारी (ए.टी.आर)/रोकड/फा. बीमा पॉलिसी/प्रे: 1060 जयपुर, दिनांक:- 28/8/07

परिपत्र

इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा डकैती, चोरी, लूट खसोट, इत्यादि के कारण होने वाली हानि की सूचना इस कार्यालय को विलम्ब से अथवा अपूर्ण प्रेषित की जाती है जिसके कारण नुकसान की भरपाई हेतु आयुक्त राज्य बीमा एंव प्रा. निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) वित्त विभाग, जयपुर से ली गयी पॉलिसी के अनुसार दावा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

इस सम्बन्ध में सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालयों में रोकड सम्बन्धी वित्तीय हानि की क्षति पूर्ति हेतु आयुक्त राज्य बीमा एंव प्रा. निधी विभाग से ली गयी पॉलिसी के तहत् निम्न घटानाओं पर दावा किया जा सकता है:-

1. बिल की राशि संग्रहित कर कार्यालय में लाने अथवा बैंक में जमा कराने के लिये ले जाने के दौरान।
2. बैंक से राशि निकलवाकर कार्यालय में ले जाने के दौरान, वेतन इत्यादि के भुगतान के लिए ले जाने एंव लाने के दौरान।
3. तिजौरी में रखी धन राशि, चैक, डी.डी आदि की लूट या डकैती आदि होने पर।
4. कार्यालय में तिजौरी के ताले तोडकर लूटपाट करने पर।

उपरोक्त घटनाओं की सूचना कार्यालय अधिकारी द्वारा अविलम्ब सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में की जानी चाहिए एंव प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करवाकर इस कार्यालय एंव सम्बन्धित अन्य उच्चाधिकारियों को तुरन्त सूचित किया जाना चाहिए।

आयुक्त राज्य बीमा एंव प्रा. निधि विभाग को दावा प्रस्तुत करने हेतु लिखित सूचना अन्य वांछित दस्तावेजो के साथ इस कार्यालय द्वारा 14 दिनों के दरम्यान पेश करना आवश्यक है अतः देरी से दी गयी या अधूरी सूचनाओं के कारण दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता या अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा की गयी जांच रिर्पोट भी इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाना चाहिये।

(के. एल. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (लेखा-कर-राजस्व)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन/कोटा जोन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/कोटा सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. अधिक्षण अभियन्ता (परि.एंव.संधा), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ... को अपने अधिनस्थ कायोलयों में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (ज.न.वृ./ज.जि.वृ./परि.एंव.संधा), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...

मुख्य लेखाधिकारी (लेखा-कर-राजस्व)